09.05.18 अधिवक्ता अभी० व राजकीय अधिवक्ता उप०। मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है। इसलिए प्रा० पत्र स्थगन विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण में संलग्न रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
कोटा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official